

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ**

क्रमांक :17-09/22-----/

दिनांक-----/

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय परिसर में जलपान कैंटीन एक वर्ष दिनांक 01/07/2024 से 30/06/2025 तक ठेके पर लेने हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय किन्नौर स्थित रिकांगपिओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नीलामी का आयोजन 27.06.2024 समय 11 बजे पूर्वाहान किया जाना है।

इस जलपान गृह में पुलिस कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी व इस कार्यालय में आने वाले आगन्तुक व्यक्तियों को प्रति दिन दोपहर का भोजन, चाय विस्कुट, क्रीम रोल इत्यादि पदार्थ व अन्य खादय सामग्री उपलब्ध करवाया जाना है। ठेके की अवधि के दौरान ग्रहको की संख्या घट बढ़ भी सकती है। अतः जो भी इच्छुक व्यक्ति उक्त कैंटीन को एक वर्ष के लिये ठेके पर लेने का इच्छुक है वह निम्नलिखित शर्तें व हिदायतें के मध्यनजर रखते हुए उक्त नीलामी में तय समय व स्थान पर आकर बोली में भाग ले सकता है:-

ठेके की शर्तें व हिदायतें:-

1. जो व्यक्ति सबसे उच्च बोली लगायेगा उसे उसी दिन एक Agreement अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना होगा।
2. कैंटीन की नीलामी के दौरान जिस व्यक्ति की बोली सबसे उच्च होगी कैंटीन उसी को दी जायेगी। बोली से पूर्व नीलामी कर्ता 2000/- रुपये की राशि स्कोरिटी के तौर पर जमा करेगा, जो बोली के पश्चात सफल ना होने पर लौटा दी जाएगी।
3. प्रथम व्यक्ति जिसके पक्ष में स्वीकृत ठेका होगा वह आगे किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्तर पर जलपान गृह को संचालन हेतु नहीं सौपेगा।
4. जलपान गृह में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ नहीं रखे जायेंगे और न ही बेचे जायेंगे और इसके लिए विभाग से मनोनीत अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेगें इसके अतिरिक्त जलपान गृह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए उत्तरदायी / जिम्मेवार होगा।
5. कैंटीन के लिए बर्तन व बिजली -पानी इत्यादि का खर्च संचालक को स्वयं उठाना होगा ठेके की अन्य शर्तों को जानने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस के दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय रिकांगपिओ से सम्पर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा कैंटिन के कमरे का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकता है।

पृष्ठांकन संख्या:17-09-18691-709

पुलिस अधीक्षक,
किन्नौर स्थित रिकांगपिओ।
दिनांक: 14-6-2024

1. प्रतिलिपि उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उप मण्डल पुलिस अधिकारी, मुख्य लिपिक, लाईनज अधिकारी, समस्त थाना प्रभारीगण जिला किन्नौर को प्रचारार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि DPRO जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ को व्यापक प्रचारार्थ हेतु प्रेषित है।
3. प्रतिलिपि I/C DCRB को पुलिस की वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक,
किन्नौर स्थित रिकांगपिओ।